दिशा–निर्देश

- व्यवसायिक ऋण
- शिक्षा ऋण
- माइको ऋण
- विरासत योजना

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड
मदरसा बोर्ड भवन तृतीय तल, डॉ. राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
फोन एवं फैक्स नं. 0141–2700201 (Email: rmfdcc_2000@yahoo.co.in)

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

मदरसा बोर्ड भवन तृतीय तल, डॉ. राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

व्यवसायिक ऋण योजना

व्यवसायिक ऋण योजनान्तर्गत लघु उद्यम प्रारम्भ करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण स्वीकृति में महिला एवं बीपीएल वर्ग के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है।

व्यवसायिक ऋण योजना के अधीन किसी भी व्यापारिक रुप से लाभप्रद तथा तकनीकी रुप से व्यवहार्य उद्यम को सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है। जिस सुविधा के लिए निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया हैः–

- तकनीकी ट्रेड (Technical Trades)
- लघु व्यवसाय (Small Business)
- आर्टिजन एवं परम्परागत धंधे (Artisan & Traditional Occupations)
- परिवहन एवं सेवा क्षेत्र (Transport & Service Sector)

<u>पात्रता :–</u>

1. आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का हो।
2. राजस्थान के मूल निवासी हो।
3. आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय निम्नानुसार होनी चाहिए :–
   - i- क्रेडिट लाईन–1 : ग्रामीण क्षेत्र में 98,000 रु. व शहरी क्षेत्र हेतु 1,20,000 रु.
   - ii- क्रेडिट लाईन–2 : ग्रामीण क्षेत्र में 98,000 रु. व शहरी क्षेत्र हेतु 1,20,000 रु. से अधिक पर 8 लाख रुपये तक।
4. आवेदक जिस व्यवसाय को करना चाहता है उसमें प्रशिक्षित या अनुभवी हो।
5. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो परन्तु 54 वर्ष से अधिक न हो।

<u>आवेदन प्रकियाः–</u>

योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्र आरएमएफडीसी के ऋण पोर्टल "rmfdcc.com" पर ऑनलाईन प्रस्तुत किये जा सकते है। आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र, समस्त स्त्रोतो से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र, भामाशाह, आधार व पैन कार्ड, निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यथा किरायानामा / पटटा / क्रय पत्र), कार्यस्थल से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र (यथा किरायानामा / पटटा / क्रय पत्र), लाइसेन्स जहॉ आवश्यक हो, आवेदक का फोटो अपलोड करना होगा।

<u>ऋण राशि एवं भुगतान</u>

1. योजनान्तर्गत 10 लाख रुपये तक की परियोजाओं पर विचार किया जावेगा।
2. आवेदक को स्वीकृत परियोजना लागत का 95% तक ऋण भुगतान किया जावेगा।

3. 25,000 रुपये से अधिक के स्थाई विनियोजन हेतु क्रय की गयी सम्पति का भुगतान संबंधित विक्रेता को किया जावेगा।
4. ऋण राशि का भुगतान 2 किश्तों में किया जावेगा। दूसरी किश्त की मांग के साथ पहली किश्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रक्रिया से ऑनलाईन देना होगा।

व्यवसायिक ऋण हेतु परियोजनाएँ

'निगम' द्वारा व्यवसायिक ऋण हेतु स्वीकृत उद्यमों की सूची परि. 1, 2 व 3 पर अवलोकनीय है। यह सूची उदाहरणात्मक है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

गारन्टी / दस्तावेज जमा करना :–

1. तीन लाख रुपये तक के ऋण के लिए एक गारन्टर।
2. तीन लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए दो गारन्टर।

गारन्टीदाता

1. राज्य सरकार या केन्द्रिय सरकार या बैंक में कार्यरत कार्मिक जो ऋण पुर्नभुगतान तक सेवानिवृत्त नहीं हो।
2. आयकर दाता–जो आयकर का भुगतान कर रहे हो प्रमाण हेतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।
3. जन प्रतिनिधि–सक्षम निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ब्याजः– ब्याज और पुर्नभुगतान अवधि दर निम्नानुसार होगीः–

श्रेणी	ब्याज दर		पुर्नभुगतान अवधि	अधिस्थगन अवधि
	महिला	पुरुष		
क्रेडिट लाईन–1	6%	6%	5 वर्ष	3 माह
क्रेडिट लाईन–2	6%	8%	5 वर्ष	3 माह

नोटः– नियमित रुप से ऋण अदायगी करने पर बजट घोषणा वर्ष 2009–10 के अनुसार विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के लिए दिये गये ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा 2% की दर से ब्याज अनुदान दिया जाने का प्रावधान है। बजट घोषणा 2011–12 के अनुसार महिला उद्यमियों को समय पर ऋण चुकाने पर सम्पूर्ण ब्याज की छूट दिये जाने का प्रावधान है।

प्रतिबंधित क्षेत्र

'निगम' के प्रस्ताव संख्या 57 के अनुसार कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय पर ऋण दिये जाने पर सशर्त रोक लगायी गयी है।

ऋण की स्वीकृति :–

1. व्यवसायिक ऋण हेतु 'निगम' के ऋण पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
2. संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण एवं अभिशंषा की जोवगी।
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की अभिशंषा के आधार पर ऋण स्वीकृति राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा की जावेगी जिसमें निम्न सदस्य हैः–

i- प्रबन्ध निदेशक– अध्यक्ष
ii- सहायक प्रबन्धक सहकारिता आरएमएफडीसीसी – सदस्य
iii- प्रतिनिधि उद्योग विभाग राजस्थान, जयपुर– सदस्य
iv- प्रतिनिधि राज्य स्तरीय चयन समिति– सदस्य
v- संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी– सदस्य
vi- प्रबन्धक (वित्त)– सदस्य सचिव

4. अधिक से अधिक अल्पसंख्यक परिवारों को 'निगम' का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से एक परिवार के एक ही व्यक्ति को ऋण दिया जावेगा।
5. समय पर ऋण चुकाने पर पूर्व ऋणी को ऋण देने में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

ऋण का पुर्न भुगतान :–

1. ऋणी को ऋण की किश्त प्रतिमाह निर्धारित ब्याज के साथ जमा करानी होगी।
2. जे ऋणी लगातार 4 माह के लिए राशि को चुकाने में चूक करेंगे उनके विरुद्व वसूली की कार्यवाही शुरु की जावेगी।
3. एक माह की अवधी में बकाया राशि की चुकौति में चूक के मामले में संबंधित योजना के तहत लागू ब्याज की सामान्य दर पर ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जावेगा।
4. किश्त राशि नहीं चुकाये जाने पर किश्त राशि पर 12% दण्डनीय ब्याज देय होगा।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

मदरसा बोर्ड भवन तृतीय तल, डॉ. राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

शिक्षा ऋण योजना

अल्पसंख्यक समुदाय के व्यवसायिक शिक्षा ऋण योजना के अन्तर्गत योग्यताधारी छात्रों को भारत में उच्च अध्ययन करने हेतु निगम की शिक्षा ऋण योजना के तहत 10 लाख रुपये तक या कुल शिक्षण शुल्क का 95 प्रतिशत जो भी कम हो शिक्षा ऋण दिया जाता है, जिसके तहत निम्न शर्तोनुसार ऋण स्वीकृत किया जावेगा :—

पात्रता :—

1. छात्र अल्पसंख्यक समुदाय के हो।
2. राजस्थान के मूल निवासी हो।
3. छात्र के परिवार की कुल वार्षिक आय निम्नानुसार होनी चाहिए :—
   i- क्रेडिट लाईन—1 : ग्रामीण क्षेत्र में 98,000 रु. व शहरी क्षेत्र हेतु 1,20,000 रु. तक।
   ii- क्रेडिट लाईन—2 : ग्रामीण क्षेत्र में 98,000 रु. व शहरी क्षेत्र हेतु 1,20,000 रु. से अधिक पर 8 लाख रुपये तक।
4. छात्र जिस संस्थान में व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है वह भारत सरकार (Minister of HRD) के द्वारा आवंटित 100 तक की श्रेणी (Ranking) का होना चाहिए।

   या

   प्रवेश लेने वाले संस्थान के कुल अध्ययनरत छात्रों में Placement से 10 लाख के पैकेज में विगत तीन वर्षों में 50% तक होना चाहिए।
5. छात्र जिस संस्था में प्रवेश ले रहा है, वह प्रवेश परीक्षा यथा Neet/Clet/Jee आदि परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त होना चाहिए।
6. माध्यमिक / उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए।
7. छात्र की आयु 16 से 32 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।
8. छात्र के परिवार के मुख्यिा को सहआवेदक बनाया जावेगा।

पाठ्यक्रम जिन पर ऋण दिया जा सकता है :—

1. व्यवसायिक शिक्षा जैसेः— Engineering, Medical, Agriculture, Veterinary, Law, Dental & Management/Fashion Design/Web Design/Jewellery Design/ Textile Design/International Export/ Cosmetic Technology/ Bachelor of visual communication etc.
2. ICWA/CA/CFA/CMA/CS
3. Course Conducted IIM/IIT/IIIT/NLU/IIS, Banglore/ISM, Dhanbad/ IISER/ NIFT/ TISS/NID/NIT
4. नियमित उपाधि जैसे :— Diploma Course Aeronautical

5. Pilot Training/ Shipping etc approved by Director General of civil Aviation/Shipping.

आवेदन प्रक्रियाः–

योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्र आरएमएफडीसी के ऋण पोर्टल "rmfdcc.com" पर ऑनलाईन प्रस्तुत किये जा सकते है। आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र, समस्त स्त्रोतो से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र, भामाशाह, आधार व पैन कार्ड, निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यथा किरायानामा/पटट्ा/क्रय पत्र), पाठ्यक्रम/संस्थान की मान्यता सम्बन्धि प्रमाण–पत्र, संस्था से प्राप्त फीस स्ट्रेक्चर, अतिंम उतीर्ण परीक्षा की अंकतालिका, आवेदक व सहआवेदक का फोटो अपलोड करना होगा।

ऋण राशि का भुगतान :–

संस्थान को देय शिक्षण शुल्क को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार विभाजन कर वार्षिक किश्तों के रुप में सीधे ही ऋणी के बैंक खाते में अन्तरित किया जावेगा जिसमें 90% NMDFC का भाग 5% RMFDCC से मार्जिन मनी ऋण व शेष 5% स्वयं की राशि होगी।

गारन्टी/दस्तावेज जमा करना :–

1. तीन लाख रुपये तक के ऋण के लिए एक गारन्टर।
2. तीन लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए दो गारन्टर।
3. NACH प्रपत्र।
4. पोस्टडेटेड चैक।

गारन्टीदाता

1. राज्य सरकार या केन्द्रिय सरकार या बैंक के कार्यरत कार्मिक जो ऋण पुर्नभुगतान तक सेवानिवृत्त नहीं हो।
2. आयकर दाता–जो आयकर का भुगतान कर रहे हो प्रमाण हेतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।
3. जन प्रतिनिधि–सक्षम अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ब्याज और पुर्नभुगतान अवधि

योजनान्तर्गत ब्याज दर, पुर्नभुगतान अवधि व अधिस्थगत अवधि निम्नानुसार होगीः–

श्रेणी	ब्याज दर		पुर्नभुगतान अवधि	अधिस्थगन अवधि
	महिला	पुरुष		
क्रेडिट लाईन–1	3%	3%	पाठ्यकम पूर्ण होने के बाद 5 वर्ष	पाठ्यकम पूर्ण होने के 6 माह बाद या नौकरी लग जाने पर जो भी पहले हो।
क्रेडिट लाईन–2	5%	8%	पाठ्यकम पूर्ण होने के बाद 5 वर्ष	

नोटः– नियमित रुप से ऋण अदायगी करने पर बजट घोषणा वर्ष 2011–12 के अनुसार महिलाओं को सम्पूर्ण ब्याज अनुदान का प्रावधान व पुरुषों को 2% ब्याज अनुदान का प्रावधान है।

ऋण की स्वीकृति :–

1. शिक्षा ऋण हेतु 'निगम' के ऋण पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
2. संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण एवं अभिशंषा की जोवगी।
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की अभिशंषा के आधार पर ऋण प्रकरण निस्तरण हेतु राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावेगें। जिसमें निम्न सदस्य होंगे :–

i- प्रबन्ध निदेशक–	अध्यक्ष
ii- सहायक प्रबन्धक सहकारिता आरएमएफडीसीसी –	सदस्य
iii- प्रतिनिधि उद्योग विभाग राजस्थान, जयपुर–	सदस्य
iv- प्रतिनिधि राज्य स्तरीय चयन समिति–	सदस्य
v- संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी–	सदस्य
vi- प्रबन्धक (वित्त)–	सदस्य सचिव

5 लाख रुपये तक के ऋण प्रकरणों में प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन पश्चात व अधिक के ऋण पर प्रशासक महोदय के अनुमोदन पश्चात ऋण स्वीकृति जारी की जावेगी।

नोट :–

1. 'निगम' द्वारा विदेश में अध्ययन हेतु कोई ऋण नहीं दिया जावेगा।
2. 'निगम' के साथ अधिक से अधिक परिवारों को जोड़े जाने हेतु एक परिवार के एक ही सदस्य को ऋण दिया जावेगा।

ऋण का पुर्न भुगतान :–

1. ऋणी को ऋण की किश्त प्रतिमाह निर्धारित ब्याज के साथ जमा करानी होगी।
2. जो ऋणी लगातार 4 माह के लिए राशि को चुकाने में चूक करेंगे उनके विरुद्व वसूली की कार्यवाही शुरु की जावेगी।
3. एक माह की अवधी में बकाया राशि की चुकौति में चूक के मामले में संबंधित योजना के तहत लागू ब्याज की सामान्य दर पर ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जावेगा।
4. किश्त राशि नहीं चुकाये जाने पर किश्त राशि पर 12% दण्डनीय ब्याज देय होगा।
5. ऋण के भुगतान से पूर्व आवेदक को निगम का सदस्य बनना होगा जिसके लिए परियोजना लागत का 2% (निकटतम 100 रुपये में) जमा कराना होगा व परियोजना लागत का 2% स्वयं की सहभागिता राशि।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

मदरसा बोर्ड भवन तृतीय तल, डॉ. राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

विरासत योजना

यह योजना वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही टर्म ऋण योजना का ही एक भाग है। योजना का उददेश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्टिजन्स का वित्त पोषण करना है।

पात्रता :—

1. आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय का हो।
2. राजस्थान का मूल निवासी हो।
3. आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98,000 रु. तक व शहरी क्षेत्र हेतु 1,20,000 रु. तक।
4. आवेदक हस्तशिल्प/आर्टिजन कार्य कर रहा हो।

ऋण राशि एवं भुगतान

1. योजनान्तर्गत 10 लाख रुपये तक की परियोजाओं पर विचार किया जावेगा।
2. आवेदक को स्वीकृत परियोजना लागत का 95% तक ऋण भुगतान किया जावेगा।
3. 25,000 रुपये से अधिक के स्थाई विनियोजन हेतु क्रय की गयी सम्पति का भुगतान संबंधित विक्रेता को किया जावेगा।
4. ऋण राशि का भुगतान 2 किश्तों में किया जावेगा। दूसरी किश्त की मांग के साथ पहली किश्त का उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रकिया से ऑनलाईन देना होगा।

विरासत योजना के अन्तर्गत पात्र योजनाएँ

1	ब्ल्यू पोटरी	2	कोटा डोरिया
3	रंगाई छपाई	4	हाथकरघा कार्य—पटटे निर्माण
5	वाल हैंगिग	6	पैटिंग कार्य
7	नक्काशीकार्य	8	जूते/मोजड़ी निर्माण
9	आरीपत्ती कार्य/बन्धन	10	लकड़ी के उत्पाद
11	लोहे के उत्पाद	12	ज्वैलरी निर्माण
13	हस्तशिल्प	14	क्रोशिया कार्य
15	लाख की चूड़ी	16	कशीदा/कढाई/पैच कार्य

यह सूची उदाहरणात्मक है, इसमें अन्य हस्तशिल्प/आर्टिजन गतिविधियाँ भी सम्मलित है।

आवेदन प्रकियाः—

योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्र आरएमएफडीसी के ऋण पोर्टल "rmfdcc.com" पर ऑनलाईन प्रस्तुत किये जा सकते है। आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण—पत्र, समस्त स्त्रोतो से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण—पत्र, भामाशाह, आधार व पैन कार्ड, निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यथा किरायानामा/पटट्टा/क्रय

पत्र), कार्यस्थल से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र (यथा किरायानामा / पटट्ा / क्रय पत्र), आवेदक का फोटो अपलोड करना होगा।

<u>गारन्टी / दस्तावेज जमा करना :–</u>

1. तीन लाख रुपये तक के ऋण के लिए एक गारन्टर।
2. तीन लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए दो गारन्टर।

<u>गारन्टीदाता</u>

1. राज्य सरकार या केन्द्रिय सरकार या बैंक में कार्यरत कार्मिक जो ऋण पुर्नभुगतान तक सेवानिवृत्त नहीं हो।
2. आयकर दाता–जो आयकर का भुगतान कर रहे हो प्रमाण हेतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।
3. जन प्रतिनिधि–सक्षम निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

<u>ब्याज और पुर्नभुगतान अवधि :–</u>

ब्याज दर और पुर्नभुगतान अवधि निम्नानुसार होगीः–

ब्याज दर		पुर्नभुगतान अवधि	अधिस्थगन अवधि
महिला हेतु	पुरुष हेतु		
4%	5%	5 वर्ष	3 माह

नोटः– नियमित रुप से ऋण अदायगी करने पर बजट घोषणा वर्ष 2009–10 के अनुसार विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के लिए दिये गये ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा 2% की दर से ब्याज अनुदान दिया जाने का प्रावधान है। बजट घोषणा 2011–12 के अनुसार महिला उद्यमियों को समय पर ऋण चुकाने पर सम्पूर्ण ब्याज की छूट दिये जाने का प्रावधान है।

<u>ऋण की स्वीकृति :–</u>

1. व्यवसायिक ऋण हेतु 'निगम' के ऋण पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
2. संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण एवं अभिशंषा की जोवगी।
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की अभिशंषा के आधार पर ऋण स्वीकृति राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा की जावेगी जिसमें निम्न सदस्य हैः–
   - i- प्रबन्ध निदेशक– अध्यक्ष
   - ii- सहायक प्रबन्धक सहकारिता आरएमएफडीसीसी – सदस्य
   - iii- प्रतिनिधि उद्योग विभाग राजस्थान, जयपुर– सदस्य
   - iv- प्रतिनिधि राज्य स्तरीय चयन समिति– सदस्य
   - v- संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी– सदस्य
   - vi- प्रबन्धक (वित्त)– सदस्य सचिव
4. अधिक से अधिक अल्पसंख्यक परिवारों को 'निगम' का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से एक परिवार के एक ही व्यक्ति को ऋण दिया जावेगा।

5. समय पर ऋण चुकाने पर पूर्व ऋणी को ऋण देने में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

ऋण का पुर्न भुगतान :–

1. ऋणी को ऋण की किश्त प्रतिमाह निर्धारित ब्याज के साथ जमा करानी होगी।
2. जे ऋणी लगातार 4 माह के लिए राशि को चुकाने में चूक करेंगे उनके विरुद्व वसूली की कार्यवाही शुरु की जावेगी।
3. एक माह की अवधी में बकाया राशि की चुकौति में चूक के मामले में संबंधित योजना के तहत लागू ब्याज की सामान्य दर पर ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जावेगा।
4. किश्त राशि नहीं चुकाये जाने पर किश्त राशि पर 12% दण्डनीय ब्याज देय होगा।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

मदरसा बोर्ड भवन तृतीय तल, डॉ. राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

लघु ऋण योजना (समूह ऋण योजना) (MICRO LOAN):

लघु ऋण योजना के अन्तर्गत, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों को, विशेषकर, दूर–दराज के गांव और शहरों की झुग्गी बस्तियों में जीवन यापन कर रही, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को लघु ऋण दिया जाता है। इस योजना के अधीन मुख्यतः अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले गैर–सरकारी संगठनों और उनके स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के नेटवर्क के माध्यम से सबसे गरीब लोगों को ऋण प्रदान किया जाता है। यह एक अनौपचारिक ऋण योजना है, जिसमें लाभार्थी को बिना किसी देरी के ऋण प्रदान किया जाता है।

पात्रता :–

1. योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को सीधे ही व पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण दिये जाने का प्रावधान है।
2. गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) गत 3 वर्षों से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभान्वित करने हेतु कार्यरत हो तथा प्राप्त ऋण को स्वयं सहायता समूहों को देने हेतु ऋण लेना चाहती हो।
3. गैर सरकारी संस्था की नियमावली में ऋण लेने का प्रावधान हो।
4. स्वयं सहायता समूह के प्रकरणों में स्वयं सहायता समूह गत 6 माह से कार्य कर रहे हों, अर्थात नियमित मासिक बैठकें व बचत कर रहे हो तो बचत को आपसी ऋण देने में प्रयोग कर रहे हो। समूह का बैंक में नियमित खाता हो।
5. स्वयं सहायता समूहों के सदस्य समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठ भूमि से संबंधित होने चाहिए।
6. लाभान्वित होने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से हों।
7. स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य राजस्थान के मूल निवासी हो।
5. सभी सदस्यों के परिवार की कुल वार्षिक आय पृथक–पृथक रुप से निम्नानुसार होनी चाहिए :–
   - i- क्रेडिट लाईन–1 : ग्रामीण क्षेत्र में 98,000 रु. व शहरी क्षेत्र हेतु 1,20,000 रु. तक।
   - ii- क्रेडिट लाईन–2 : ग्रामीण क्षेत्र में 98,000 रु. व शहरी क्षेत्र हेतु 1,20,000 रु. से अधिक पर 8 लाख रुपये तक।

आवेदन प्रकियाः–

योजनान्तर्गत ऋण आवेदन पत्र आरएमएफडीसी के ऋण पोर्टल "rmfdcc.com" पर ऑनलाईन प्रस्तुत किये जा सकते है। आवेदन पत्र के साथ सभी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र, समस्त स्त्रोतो से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण–पत्र, भामाशाह, आधार व पैन कार्ड, निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(यथा किरायानामा/पटटा/क्रय पत्र) व फोटो अपलोड करना होगा। संस्था के सम्बन्ध में पंजीयन प्रमाण–पत्र, बाईलाज, गत 3 वर्षों की बैंलेन्स शीट व वार्षिक रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी।

वर्तमान में योजनान्तर्गत बजट प्रावधान नहीं है।

<u>ऋण राशि का भुगतान</u>

आवेदक समूह/संस्था को स्वीकृत परियोजना राशि का 95% तक ऋण भुगतान किया जावेगा।

<u>गारन्टी :–</u>

1. NGO :- बैंक गांरन्टी
2. स्वयं सहायता समूहों से
    - **क)** तीन लाख रुपये तक के ऋण के लिए एक गारन्टर।
    - **ख)** तीन लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए दो गारन्टर।

<u>गारन्टीदाता</u>

1. राष्ट्रीयकृत बैक से बैक गारन्टी
2. राज्य सरकार या केन्द्रिय सरकार या बैंक में कार्यरत कार्मिक जो ऋण पुर्नभुगतान तक सेवानिवृत्त नहीं हो।
3. आयकर दाता–जो आयकर का भुगतान कर रहे हो प्रमाण हेतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।
4. जन प्रतिनिधि–सक्षम निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

<u>ब्याज और पुर्नभुगतान अवधि :–</u>

ब्याज दर और पुर्नभुगतान अवधि निम्नानुसार होगीः–

श्रेणी	ब्याज दर		पुर्नभुगतान अवधि	अधिस्थगन अवधि
	गैर सरकारी सस्थाओं के लिए	**स्वयं सहायता समूहों के लिए**		
क्रेडिट लाईन–1	2%	पुरुष लाभार्थियों के लिए 5% महिलाओं लाभार्थियों के लिए 3%	3 वर्ष	3 माह
क्रेडिट लाईन–2	7%	पुरुष लाभार्थियों के लिए 10% महिलाओं लाभार्थियों के लिए 8%	3 वर्ष	3 माह

नोटः– नियमित रुप से ऋण अदायगी करने पर बजट घोषणा वर्ष 2009–10 के अनुसार विभिन्न लघु ऋण योजना गतिविधियों के लिए दिये गये ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा 2% की दर से ब्याज अनुदान दिया जाने का प्रावधान है। बजट घोषणा 2011–12 के अनुसार महिला उद्यमियों को समय पर ऋण चुकाने पर सम्पूर्ण ब्याज की छूट दिये जाने का प्रावधान है।

ऋण की स्वीकृति :–

1. लघु ऋण योजना ऋण हेतु 'निगम' के ऋण पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
2. संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण एवं अभिशंषा की जोवगी।
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की अभिशंषा के आधार पर ऋण स्वीकृति राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा की जावेगी जिसमें निम्न सदस्य है:–

i- प्रबन्ध निदेशक–	अध्यक्ष
ii- सहायक प्रबन्धक सहकारिता आरएमएफडीसीसी –	सदस्य
iii- प्रतिनिधि उद्योग विभाग राजस्थान, जयपुर–	सदस्य
iv- प्रतिनिधि राज्य स्तरीय चयन समिति–	सदस्य
v- संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी–	सदस्य
vi- प्रबन्धक (वित्त)–	सदस्य सचिव

4. एक परिवार के एक ही सदस्य को स्वयं सहायता समूह में सम्मलित किया जावेगा।
5. समय पर ऋण चुकाने पर NGO/SHG को प्राथमिकता दी जावेगी।

ऋण का पुर्न भुगतान :–

1. ऋणी को ऋण की किश्त प्रतिमाह निर्धारित ब्याज के साथ जमा करानी होगी।
2. जे ऋणी लगातार 4 माह के लिए राशि को चुकाने में चूक करेंगे उनके विरुद्व वसूली की कार्यवाही शुरु की जावेगी।
3. एक माह की अवधी में बकाया राशि की चुकौति में चूक के मामले में संबंधित योजना के तहत लागू ब्याज की सामान्य दर पर ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जावेगा।
4. किश्त राशि नहीं चुकाये जाने पर किश्त राशि पर 12% दण्डनीय ब्याज देय होगा।

परिशिष्ट-1

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम, जयपुर

संभावित सेवा गतिविधियां हेतु अधिकतम राशि

(राशि लाख रु. में)

क्रमांक	आर्थिक गतिविधि	संभावित बिक्री क्षमता	परियोजना लागत			Round Off	रोजगार संभावना		
			स्थायी	कार्यशील	योग		स्वयं	वैतेनिक	योग
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	साइकिल मरम्मत	3.48	0.31	0.16	0.47	0.50	1	1	2
2	ऑटो मरम्मत	4.50	1.05	0.25	1.30	1.30	1	1	2
3	सर्विस सेंटर (4 पहिये)	12.00	2.88	0.74	3.62	3.60	1	2	3
4	ट्रेक्टर मरम्मत	10.50	4.20	0.57	4.77	4.80	1	2	3
5	घरेलु विद्युत् उपकरण मरम्मत	9.00	0.67	0.54	1.21	1.20	1	1	2
6	मोटर बाइंडिंग	9.60	0.67	0.60	1.27	1.30	1	2	3
7	कोचिंग सेंटर	18.50	1.50	0.50	2.00	2.00	1	6	7
8	अनाज पिसाई	3.00	0.58	0.13	0.71	0.70	1	1	2
9	दाल पिसाई	1.50	0.27	0.04	0.31	0.30	1		1
10	कम्पूटर/हार्डवेयर मरम्मत	4.50	0.93	0.23	1.16	1.20	1	1	2
11	इ-मित्र	3.00	0.80	0.13	0.93	0.90	1		1
12	लेडिज ब्यूटी पार्लर (ग्रामीण)	4.48	0.79	0.24	1.03	1.00	1	1	2
13	लेडिज ब्यूटी पार्लर (शहरी)	8.59	2.03	0.38	2.41	2.40	1	2	3
14	जेंट्स पार्लर	5.58	1.00	0.29	1.29	1.30	1	2	3
15	सिलाई कार्य	2.70	0.44	0.12	0.56	0.60	1	1	2
16	कपड़ों पर प्रेस की दुकान	2.60	0.15	0.08	0.23	0.20	1	1	2
17	ड्राई क्लीन	7.98	2.25	0.25	2.50	2.50	1	2	3
18	टैंट हाउस	8.00	3.37	0.32	3.69	3.70	1	5	6
19	बैंड बाजा	18.50	1.32	0.90	2.22	2.20	1	15	16
20	भोजनालय	26.64	2.17	1.66	3.83	3.80	1	5	6
21	सायबर कैफे	5.50	1.80	0.20	2.00	2.00	1	1	2
22	ऑटो प्रचालन	3.83	2.04	0.15	2.19	2.20	1		1
23	टैक्सी	6.93	6.54	0.25	6.79	6.80	1		1
24	मोबाइल मरम्मत कार्य	7.65	0.50	1.00	1.50	1.50	1	1	2
25	आरी तारा वर्क	4.20	0.12	0.22	0.34	0.30	1	3	4
26	पंचर कार्य (Tube Vulcanizing)	2.63	0.40	0.10	0.50	0.50	1	1	2
27	साड़ी पर कशीदा	9.00	0.10	1.10	1.20	1.20	1	1	2
28	Optical & Watch sale & Service	15.75	1.00	1-08	2.08	2.10	1	3	4
29	General Engineering Shop	24.50	1.00	1.00	2.00	2.00	1	3	4

30	Welding Work	21.40	0.50	0.50	1.00	1.00	1	1	2
31	RO Sales & Service	11.50	0.42	0.70	1.20	1.20	1	1	2
32	Electric Decoration	4.70	1.80	0.26	2.06	2.00	1	2	3

परि. 2.

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम, जयपुर

संभावित ट्रेडिंग गतिविधियां हेतु अधिकतम राशि

(राशि लाख रु. में)

क्रमांक	आर्थिक गतिविधि	संभावित बिक्री क्षमता	परियोजना लागत			Round Off	रोजगार संभावना		
			स्थायी	कार्यशील	योग		स्वयं	वैतनिक	योग
1	किराना दुकान Rural	7.30	0.12	0.78	0.90	0.90	1	0	1
2	किराना दुकान Urban	12.50	0.40	1.38	1.78	1.80	1	0	1
3	कपडे की दुकान Urban	16.00	0.54	1.81	2.35	2.35	1	1	2
4	कपडे की दुकान Rural	8.50	0.24	0.92	1.16	1.20	1	0	1
5	चाय की दुकान	8.78	0.30	0.75	1.05	1.00	1	1	2
6	इमारती सामान की दुकान	20.56	0.02	2.43	2.45	2.50	1	1	2
7	दवा की दुकान	14.00	0.25	1.58	1.83	1.80	1	1	2
8	जनरल स्टोर Urban	14.00	0.36	1.56	1.92	1.90	1	1	2
9	जनरल स्टोर Rural	7.00	0.20	0.72	0.92	0.90	1	0	1
10	मीट शॉप	32.47	0.10	0.60	0.70	0.70	1	1	2
11	सब्जी की दुकान	13.50	0.12	0.50	0.62	0.60	1	1	2
12	बिसारती की दुकान Urban	14.00	0.36	1.56	1.92	1.90	1	1	2
13	रेडीमेड गारमेंट शॉप Urban	24.00	0.60	1.76	2.36	2.40	1	1	2
14	रेडीमेड गारमेंट शॉप Rural	8.50	0.24	0.91	1.15	1.20	1	0	1
15	बिसारती की दुकान Rural	7.00	0.20	0.72	0.92	0.90	1	0	1

पेज-3

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम, जयपुर
संभावित विनिर्माण गतिविधियां हेतु अधिकतम राशि

(राशि लाख रु. मे

क्रमांक	आर्थिक गतिविधि	संभावित बिक्री क्षमता	परियोजना लागत			Round Off	रोजगार संभावना		
			स्थायी	कार्यशील	योग		स्वयं	वैतेनिक	यो
1	अगरबत्ती	20	0.50	1.50	2.00	2.00	1	3	4
2	झाड़ू निर्माण	8.40	0.72	0.99	1.71	1.70	1	3	4
3	सीमेंट जाली	11.25	0.50	1.40	1.90	1.90	1	3	4
4	सॉफ्टवेयर डवलपमेंट	12.00	1.50	0.50	2.00	2.00	1	3	4
5	वाशिंग पावडर	12.00	0.20	1.00	1.20	1.20	1	3	4
6	वाइट फिनायल	12.00	0.50	1.00	1.50	1.50	1	3	4
7	लाख की चूड़ी	31.87	0.10	1.90	2.00	2.00	1	1	2
8	लकड़ी का फर्नीचर/ हस्तशिल्प	18.00	1.50	1.00	2.50	2.50	1	2	3
9	लोहे की चद्दर के उत्पाद	16.75	0.86	2.35	3.21	3.20	1	3	4
10	Leather Shoes	6.90	0.67	0.90	1.57	1.60	1	1	2
11	Embroidery on Leather	6.00	0.10	1.00	1.10	1.10	1	0	1
12	Pattu/ Woolen Cloth	9.00	0.25	1.50	1.75	1.80	1	1	2
13	Readymade Garment	12.00	0.60	2.00	2.60	2.60	1	2	3
14	Kota Sari	12.00	0.25	1.75	2.00	2.00	1	1	2